न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—446/2019/225 आर.टी.एक्ट (2019/00446)

1. कैलाश दान पुत्र रामचंद्रदान जाति चारण बारेठ निवासी ग्राम रारी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर

अपीलांट

बनाम

1. भवानीदान पुत्र रामचंद्रदान जाति चारण
2. लोकेन्द्र सिंह पुत्र रामचंद्रदान जाति चारण
3. अन्नेसिंह पुत्र लक्ष्मणदान
4. राजूदान पुत्र लक्ष्मणदान
5. मंजूबाला पत्नी बस्तीदान
6. गोविन्द पुत्र बस्तीदान
7. सचिन पुत्र बस्तीदान
8. दरियाकंवर पत्नी बस्तीदान
9. सरहकंवर पुत्रीलक्ष्मणदान
   समस्त जाति चारण बारेठ समस्त निवासी ग्राम रारी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
10. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा किशनगढ
11. निशा चौधरी पत्नी लोकेश चौधरी जाति जाट निवासी रारी तहसील किशनगढ जिला अजमेर
12. तृप्तेश चौधरी पुत्र फूलचंद चौधरी जाति जाट निवासी रारी तहसील किशनगढ जिला अजमेर
13. नीलू पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी रारी तहसील किशनगढ जिला अजमेर

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, उपखण्ड अधिकारी , किशनगढ विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.04.2019 राजस्व वाद संख्या 04/2003

उपस्थितः—

1. श्री उमेश कुमार, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री सुण्डाराम जाट अभिभाषक, रेस्पोडेंट संख्या 11,12.
3. श्री महेन्द्रसिंह चौहान अभिभाषक, रेसपोडेंट संख्या 3,4,8.
4. रेसपोडेंट संख्या 1,2,5,6,7,9,10,13 अनुपस्थित.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः—08.12.2022

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के द्वारा प्रकरण संख्या 04/2003 मे पारित आदेश दिनांक 05.04.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक वाद वास्ते उदघोषणा का उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष विरूद्ध रेस्पोडेंटस पेश किया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया तत्पश्चात आगामी पेशी दिनांक 6.10.2015 को भवर दान जिरह हेतु उपस्थित होने पर पीठासीन अधिकारी जी उपस्थित नहीं होने के कारण आगामी पेशी दिनांक 07.10.2015 की नियत की गई दिनांक 07.10.2015 को पत्रावली पेश होने पर प्रतिवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 (3) तथा एक प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 5 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया जिनको स्वीकार करते हुए प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत वसीयत रिकार्ड पर लेने एवं अतिरिक्त तनकी 8ए कायम की गई। तत्पश्चात वादी/कैलाशदान एवं प्रतिवादीगण जो की एक ही परिवार के सदस्य है के द्वारा वादी/अपीलांट जो एक ग्रामीण परिवेश का भोला भाला व्यक्ति है को उसे हिस्से की समस्त आराजी देने का वचन देकर उससे कपटपूर्वक रूप से परिवार का हवाला देते हुए वादपत्र को आगे नहीं चलने एवं आपसी समझाइश से प्रकरण को निस्तारण करने का निवेदन किया। अपीलांट द्वारा उक्त वाद पत्र को नहीं चलने एवं वादी एवं प्रतिवादी के मध्य पारिवारिक समझौता होने के आधार पर प्रकरण को नोट प्रेस में खारिज किए जाने के निवेदन पर प्रकरण को खारिज किए जाने के अविधिक आदेश दिनांक 5.4. 2019 को पारित कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के द्वारा प्रकरण संख्या 04/2003 मे पारित आदेश दिनांक 05.04.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 8 एवं 11, 12 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2,5से 7,9, 10, 13 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद गुलाब कंवर के खातेदारी की आराजी जो की लक्ष्मणदान के हिस्से में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत इंद्राज की गई थी के बावत प्रस्तुत किया गया था जिसमें गुलाब कंवर द्वारा अपीलांट के पक्ष में दिनांक 13.3.2002 को अंतिम वसीयत की गई थी जिसके उपरांत अपीलांट का ही गुलाब कंवर के हिस्से की आराजी पर उसकी मृत्यु उपरांत से निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। किन्तु विपक्षीगण द्वारा अपीलांट के हिस्से की आराजी को उसे देने का वचन देने के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद नोट प्रेस में खारिज करवा दिया जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उपखण्ड अधिकारी, को इस तथ्य की भी जांच की जानी चाहिए की वाद पत्र में किया गया राजीनामा/समझौता विधिक प्रावधानों की पूर्ति करता है या नहीं, या किसी विधिक प्रावधानों का उलंघन तो नहीं हो रहा है प्रस्तुत समझौता/राजीनामा द्वारा विधि के समस्त प्रावधानों को दरकिनार कर अपीलांट से कपटपूर्वक कथन कर अपीलांट को उसके हिस्से से बेदखल नहीं किए जाने का आश्वासन देते हुए प्राप्त किया गया था जिसकी पालना विपक्षीगण द्वारा नहीं की गई व अपीलांट को आराजी से बेदखल करने की कुचेष्टा की जा रही है। गुलाबकंवर द्वारा दिनांक 13.3.2002 को अपीलांट के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई थी तत्पश्चात दिनांक 15.7.2002 को गुलाब कंवर का स्वर्गवास हो गया था अर्थात गुलाब कंवर द्वारा अपीलांट के पक्ष में की गई वसीयत अंतिम वसीयत थी जिसके आधार पर अपीलांट उक्त आराजी पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

काविज चला आ रहा था किंतु विपक्षीगण द्वारा अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने दिया एवं अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराकर अपीलांट को वेदखल करने की गरज से उक्त वादग्रस्त आराजी को अन्यत्र बेचान कर दिया जो की विपक्षीगण की बदनीयती को स्पष्ट करता है। विपक्षीगण द्वारा कूटरचना कर अपीलांट को उसकी कब्जे काश्त की आराजी से वेदखल किए जाने की कुचेष्टा की गई एवं अपीलांट की बोई फसल को नष्ट कर दिया गया जिससे अपीलांट को विपक्षीगण द्वारा किए गए कार्यवाही का पता चला जिसके उपरांत आवश्यक दस्तावेज निकलवाकर माननीय न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत कर रहा है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.04.2019 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 11, 12 दौराने जवाब/बहस मे अपील में कथन किया कि वादी/अपीलांट द्वारा मूल राजस्व वाद संख्या 04/2003 को अपीलांट ने स्वयं ने एवं अपीलांट के अधिवक्त ने स्वयं ने दिनांक 05.04.2019 को उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष उक्त वाद को वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी पारिवारिक समझौता होने के आधार पर उक्त वाद को वादी द्वारा आगे नहीं चलाने के आधार पर वादी ने स्वयं ने नोटप्रेस में खारिज किये जाने का निवेदन किया था। इसके पश्चात वादी ने निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद नोटप्रेस के आधार पर खारिज किया था इसलिए वादी का यह अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का कोई विधिक अधिकार नही है। विधि का यह सिद्धान्त है किसी भी व्यक्ति द्वारा राजीनामें के आधार पर वाद को नोटस प्रेस किये जाने पश्चात् वादी को अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई विधिक अधिकार नही है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में वैस्टर्न लॉ केसेस (सुप्रीम कोर्ट) सिविल 2012 (1) पेज 156 का न्यायालय दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 04, 08 ने दौराने जवाब/बहस अपील में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी अभिभाषक श्री इन्द्रेश कुमार के साथ नियत तिथि से पूर्व प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली तलब करने के निवेदन पर पत्रावली तलब की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी एवं उनके अभिभाषक ने अपना वाद आपसी पारिवारिक समझौता होने रासे उक्त वाद को नोट प्रेस किय जाने से खारिज करवाया है,इसलिए अपीलांट को यह अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जाने के आदेश प्रदान करावे। विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। धारा 96 (3) जाप्ता दीवानी में यह प्रतिपादित किया है कि पक्षकारो की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नही होगी। माननीय उच्चतम न्यायालय से लेकर माननीय राजस्व मंडल द्वारा अपने निर्णय/नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रकरण बकौल राजीनामा निरस्तारित हो। परन्तु यह भी देखने को मिलता है कि इस प्रकार बार-बार प्रकरण पेश करने व प्रत्याहरित कर पुनः पेश करने की अनुमति मांगने से न्यायालयों का

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

समय जाया होता है व न्यायालयों में अकारण ही लंबित प्रकरणों की संख्या में भी वृद्धि होती है परन्तु न्यायबिन्दु यह भी है कि पक्षकारों को अपनी बात रखने का मौका अवश्य दिया जाना चाहिए।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा के आधार पर गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण नही हुआ है, अतः नया वाद लाने की स्वतंत्रता देते हुए अपील 5000 /– पांच हजार रूपये की कोस्ट पर अपील आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है। उक्त कोस्ट अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 03,04,08 व 11,12 को दी जावें।

8. अतः उपरोक्त विवेचानुसार अपीलांट/वादी को नया वाद पत्र लाने की स्वतंत्रता देते हुए अपील 5000 /– पांच हजार रूपये की कोस्ट पर आंशिक स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 08.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर